



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 11 अगस्त, 2016/20 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अगस्त 2016

संख्या पी0बी0डब्ल्यू(बी)जी0-(6)4/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का 20) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रथम वृत्त, मण्डी के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण उप-मण्डल करसोग, जिला मण्डी की बावत निम्नलिखित

सड़क अवसंरचना नक्शों को अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव करते हैं और उसे एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/समाचार पत्रों में एतद् द्वारा प्रकाशित करते हैं;

इन सड़क अवसंरचना नक्शों से संभाव्य प्रभावित होने वाला यदी कोई हितबद्ध व्यक्ति इन नक्शों की बावत कोई आपेक्ष या सुझाव देना चाहे, तो वह सम्बन्धित कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकेगा और वह अपने आपेक्ष/सुझाव उक्त सड़क अवसंरचना नक्शों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002, को भेज सकता है।

सरकार द्वारा नीचे दिए गये ब्यौरे के अनुसार उक्त प्रारूप देने से पूर्व, उपर्युक्त नियत अव के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का 20) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सड़क अवसंरचना नक्शों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार अन्तिम रूप देते हैं:—

हि0 प्र0 अबसंरचना संरक्षण के अन्तर्गत करसोग मण्डल के अधीन सड़क का मानचित्र हि0प्र0 लो0नि0वि0 उपमण्डल करसोग के अन्तर्गत हि0प्र0 लो0नि0वि0 मण्डल करसोग

सड़क का नाम:—करसोग—परलोग रोड़ पटवार सर्कल करसोग, भन्थल, कजौण तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0।

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई	खसरा नं०	राजस्व ग्राम का नाम		भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे०)	टिप्पणी
				ग्राम का नाम	आर०डी० संख्या		
1.	करसोग—परलोग रोड़	2.500 कि० मी०	1088/304	करसोग	0/0 से 0/135	00-98-63	अर्जित भूमि
2.			1291/405	”	0/135 से 0/210	00-02-03	”
3.			1108/862	”	0/210 से 0/945	00-29-66	”
4.			1003	”	0/945 से 1/210	00-16-82	”
5.			642/403	”	1/210 से 1/240	00-00-56	”
6.			649/419	”	1/210 से 1/240	00-00-24	”
7.			663/432	”	1/240 से 1/255	00-00-40	”
8.			659/430	भण्डारणू	1/255 से 1/270	00-00-08	”
9.			661/431	”	1/255 से 1/270	00-00-50	”
10.			663/433	”	1/255 से 1/270	00-00-85	”
11.			663/434	”	1/255 से 1/270	00-00-14	”
12.			657/426	”	1/270 से 1/300	00-00-80	”
13.			653/421	”	1/300 से 1/330	00-00-34	”
14.			651/420	”	1/330 से 1/345	00-00-12	”
15.			655/423	”	1/345 से 1/360	00-00-12	”
16.			688/444	”	1/390 से 1/405	00-00-06	”
17.			418	”	1/240 से 1/420	00-07-61	”
18.			1197/111/201	कजौण	1/420 से 1/435	00-00-44	”
19.			1130/200	”	1/435 से 1/630	00-19-85	”
20.			1195/201	”	1/430 से 1/435	00-00-32	”
21.			1199/940/203	”	1/435 से 1/450	00-00-08	”
22.			1170/7	”	1/435 से 1/450	00-00-12	”

23.			1172 / 871 / 8	”	1 / 450 से 1 / 465	00-00-36	”
24.			1201 / 204	”	1 / 510 से 1 / 630	00-00-26	”
25.			1188 / 1097 / 3	”	1 / 630 से 1 / 780	00-00-48	”
26.			1209 / 466	”	1 / 780 से 1 / 810	00-00-20	”
27.			1192 / 199	”	1 / 810 से 2 / 005	00-08-19	”
28.			30	”	1 / 810 से 1 / 820	00-00-30	”
29.			1213 / 478	”	1 / 830 से 1 / 840	00-00-12	”
30.			1215 / 479	”	1 / 855 से 1 / 865	00-00-08	”
31.			1217 / 480	”	1 / 860 से 1 / 870	00-00-93	”
32.			1219 / 481	”	1 / 860 से 1 / 870	00-00-08	”
33.			1220 / 482	”	1 / 870 से 1 / 880	00-00-04	”
34.			1221 / 481	”	1 / 870 से 1 / 885	00-00-14	”
35.			973 / 134	”	2 / 00 से 2 / 015	00-00-12	”
36.			1178 / 135	”	2 / 00 से 2 / 015	00-00-08	”
37.			1180 / 1136 / 136	”	2 / 015 से 2 / 060	00-00-44	”
38.			1181 / 1136 / 136	”	2 / 045 से 2 / 060	00-00-14	”
39.			1225 / 1039 / 485	”	2 / 060 से 2 / 075	00-00-82	”
40.			1226 / 1039 / 485	”	2 / 060 से 2 / 075	00-00-18	”
41.			1190 / 1140 / 191	”	2 / 075 से 2 / 090	00-00-48	”
42.			187	”	2 / 090 से 2 / 105	00-00-12	”
43.			188	”	2 / 105 से 2 / 135	00-00-40	”
44.			1230 / 1014 / 603		2 / 130 से 2 / 140	00-00-16	”
45.			1232 / 1015 / 603		2 / 140 से 2 / 150	00-00-40	”
46.			1233 / 1115 / 603		2 / 150 से 2 / 180	00-00-08	”
47.			979 / 608		2 / 155 से 2 / 195	00-00-10	”
48.			1004 / 192		2 / 165 से 2 / 180	00-00-60	”
49.			1235 / 949 / 609		2 / 195 से 2 / 225	00-00-08	”
50.			1239 / 1002 / 609		2 / 225 से 2 / 240	00-00-10	”
51.			1241 / 1006 / 609		2 / 240 से 2 / 255	00-00-10	”
52.			1237 / 950 / 609		2 / 255 से 2 / 285	00-00-12	”
53.			1243 / 1003 / 609		2 / 270 से 2 / 285	00-00-08	”
54.			975 / 194		2 / 255 से 2 / 270	00-00-48	”
55.			1245 / 1152 / 609		2 / 300 से 2 / 330	00-00-34	”
56.			977 / 197		2 / 285 से 2 / 300	00-00-10	”

57.		1056/609		2/285 से 2/300	00-00-20	”
58.		198		2/300 से 2/330	00-18-51	”
59.		611		2/330 से 2/345	00-00-68	”
60.		1185/175		2/330 से 2/345	00-00-60	”
61.		1174/24		2/305 से 2/330	00-00-22	”
62.		25		2/315 से 2/325	00-00-26	”
62.		1100/26		2/325 से 2/335	00-00-40	”
63.		1102/471		2/335 से 2/350	00-00-93	”
64.		1211/1103/ 471		2/340 से 2/360	00-00-14	”
65.		981/619		2/345 से 2/360	00-00-18	”
66.		620		2/345 से 2/360	00-00-16	”
67.		1247/991/ 612		2/360 से 2/375	00-00-36	”
68.		985/643		2/360 से 2/390	00-01-53	”
69.		993/660		2/360 से 2/420	00-11-13	”
70.		1104/192		2/390 से 2/405	00-00-60	”
71.		1185/175		2/400 से 2/410	00-00-60	”
72.		1255/661		2/390 से 2/435	00-06-66	”
73.		1249/1167/ 643		2/395 से 2/405	00-01-66	”
74.		1253/1072/ 658		2/420 से 2/450	00-07-81	”
75.		997/660		2/450 से 2/465	00-02-91	”
76.		1106/66		0 2/465 से 2/495	00-01-16	”
77.		1107/660		2/495 से 2/510	00-00-81	”

आदेश द्वारा,
नरेन्द्र चौहान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th August, 2016

No. PBW(B)G-(6)4/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002(Act No. 20 of 2003), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to finalize the following road infrastructure maps in respect of the Himachal Pradesh Public Works Department Division Karsog, Distt Mandi, under Himachal Pradesh Public works Department, Ist Circle, Mandi for carrying out the purpose of the act ibid and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh/Newspaper for the information of the General Public;

If any interested person likely to be affected by these road infrastructure maps, has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these maps, he may inspect the same in the office of concerned Executive Engineer and send his objection(s) or suggestion(s) to the Addl. Chief Secretary(PW) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within a period

of sixty days from the date of publication of the said road maps in the Rajpatra of Himachal Pradesh/newspaper;

The objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft road maps as per details given under:—

Name of Division : Himachal Pradesh Public Works Department Division Karsog
Distt Mandi H.P Under Ist Circle HPPWD Mandi (H P)

Information regarding Project Karsog Parlog road Patwar circle Karsog , Bhanthal,
Kanjaun Tehsil Karsog Distt Mandi H.P

Sr. No	Name of Road	Length of Road	Khasara no.	Name of Revenue village		Area	Remarks
				Village	R.D No		
1.	Karsog parlog road	2.500 Km.	1088/304	Karsog	0/0 to 0/135	00-98-63	Acquired land
2.			1291/405	”	0/135 to 0/210	00-02-03	”
3.			1108/862	”	0/210 to 0/945	00-29-66	”
4.			1003	”	0/945 to 1/210	00-16-82	”
5.			642/403	”	1/210 to 1/240	00-00-56	”
6.			649/419	”	1/210 to 1/240	00-00-24	”
7.			663/432	”	1/240 to 1/255	00-00-40	”
8.			659/430	Bhadharnu	1/255 to 1/270	00-00-08	”
9.			661/431	”	1/255 to 1/270	00-00-50	”
10.			663/433	”	1/255 to 1/270	00-00-85	”
11.			663/434	”	1/255 to 1/270	00-00-14	”
12.			657/426	”	1/270 to 1/300	00-00-80	”
13.			653/421	”	1/300 to 1/330	00-00-34	”
14.			651/420	”	1/330 to 1/345	00-00-12	”
15.			655/423	”	1/345 to 1/360	00-00-12	”
16.			688/444	”	1/390 to 1/405	00-00-06	”
17.			418	”	1/240 to 1/420	00-07-61	”
18.			1197/1111/201	Kanjaun	1/420 to 1/435	00-00-44	”
19.			1130/200	”	1/435 to 1/630	00-19-85	”
20.			1195/201	”	1/430 to 1/435	00-00-32	”
21.			1199/940/203	”	1/435 to 1/450	00-00-08	”
22.			1170/7	”	1/435 to 1/450	00-00-12	”
23.			1172/871/8	”	1/450 to 1/465	00-00-36	”
24.			1201/204	”	1/510 to 1/630	00-00-26	”
25.			1188/1097/3	”	1/630 to 1/780	00-00-48	”
26.			1209/466	”	1/780 to 1/810	00-00-20	”
27.			1192/199	”	1/810 to 2/005	00-08-19	”
28.			30	”	1/810 to 1/820	00-00-30	”
29.			1213/478	”	1/830 to 1/840	00-00-12	”
30.			1215/479	”	1/855 to 1/865	00-00-08	”
31.			1217/480	”	1/860 to 1/870	00-00-93	”
32.			1219/481	”	1/860 to 1/870	00-00-08	”

33.			1220/482	”	1/870 to 1/880	00-00-04	”
34.			1221/481	”	1/870 to 1/885	00-00-14	”
35.			973/134	”	2/00 to 2/015	00-00-12	”
36.			1178/135	”	2/00 to 2/015	00-00-08	”
37.			1180/1136/136	”	2/015 to 2/060	00-00-44	”
38.			1181/1136/136	”	2/045 to 2/060	00-00-14	”
39.			1225/1039/485	”	2/060 to 2/075	00-00-82	”
40.			1226/1039/485	”	2/060 to 2/075	00-00-18	”
41.			1190/1140/191	”	2/075 to 2/090	00-00-48	”
42.			187	”	2/090 to 2/105	00-00-12	”
43.			188	”	2/105 to 2/135	00-00-40	”
44.			1230/1014/603	”	2/130 to 2/140	00-00-16	”
45.			1232/1015/603	”	2/140 to 2/150	00-00-40	”
46.			1233/1115/603	”	2/150 to 2/180	00-00-08	”
47.			979/608	”	2/155 to 2/195	00-00-10	”
48.			1004/192	”	2/165 to 2/180	00-00-60	”
49.			1235/949/609	”	2/195 to 2/225	00-00-08	”
50.			1239/1002/609	”	2/225 to 2/240	00-00-10	”
51.			1241/1006/609	”	2/240 to 2/255	00-00-10	”
52.			1237/950/609	”	2/255 to 2/285	00-00-12	”
53.			1243/1003/609	”	2/270 to 2/285	00-00-08	”
54.			975/194	”	2/255 to 2/270	00-00-48	”
55.			1245/1152/609	”	2/300 to 2/330	00-00-34	”
56.			977/197	”	2/285 to 2/300	00-00-10	”
57.			1056/609	”	2/285 to 2/300	00-00-20	”
58.			198	”	2/300 to 2/330	00-18-51	”
59.			611	”	2/330 to 2/345	00-00-68	”
60.			1185/175	”	2/330 to 2/345	00-00-60	”
61.			1174/24	”	2/305 to 2/330	00-00-22	”
62.			25	”	2/315 to 2/325	00-00-26	”
62.			1100/26	”	2/325 to 2/335	00-00-40	”
63.			1102/471	”	2/335 to 2/350	00-00-93	”
64.			1211/1103/471	”	2/340 to 2/360	00-00-14	”
65.			981/619	”	2/345 to 2/360	00-00-18	”
66.			620	”	2/345 to 2/360	00-00-16	”
67.			1247/991/612	”	2/360 to 2/375	00-00-36	”
68.			985/643	”	2/360 to 2/390	00-01-53	”
69.			993/660	”	2/360 to 2/420	00-11-13	”
70.			1104/192	”	2/390 to 2/405	00-00-60	”
71.			1185/175	”	2/400 to 2/410	00-00-60	”
72.			1255/661	”	2/390 to 2/435	00-06-66	”
73.			1249/1167/643	”	2/395 to 2/405	00-01-66	”
74.			1253/1072/658	”	2/420 to 2/450	00-07-81	”
75.			997/660	”	2/450 to 2/465	00-02-91	”
76.			1106/660	”	2/465 to 2/495	00-01-16	”
77.			1107/660	”	2/495 to 2/510	00-00-81	”

By order,
NARINDER CHAUHAN,
Addl Chief Secretary (PW).

OFFICE OF THE DISTT. MAGISTRATE, KINNAUR AT RECKONG PEO, HP.**NOTIFICATION***Kinnaur, the 3rd August, 2016*

No: FDS-KNR/93.—In super session of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 2(d) (1) of the Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Price) Order, 1993, **I, Dr. N.K. Lath, IAS** District Magistrate, Distt. Kinnaur at Reckong Peo (H. P.), do hereby fix Wholesale and Retail Sale rate of Kerosene Oil in Kinnaur District, which may be charged by the Wholesaler and Retailers as under :—

M/S Krishna Coal Company, C/O, TKD, Reckong Peo Distt. Kinnaur HP. (Kerosene Oil Wholesaler)			
Sl. No.	Name of the Stations	Wholesale Rate Per 1000 Ltrs.	Retail Sale Rate Per Liter
1.	Nigulsari, Chaura, Solding, Bhawanagar, Latuksa, Nathpa, Tapri, Choling, Karcham, Pawari, Reckong Peo Telangi etc.	14631.38	15.08
2.	Nichar, Katgaun, Kafnoo, Chagaun, Kilba, Kalpa, Pangi, Sangla, Roghi, Bari, Ponda	15660.21	16.11
3.	Jangi, Thangi, Rakcham, Moorang, Spillo, Pooh, Dubling, Sunnam, Giabung, Akpa, Ribba, Urni, Rarang, Batseri etc.	15812.71	16.26
4.	Yangthang, Chango, Leo, Sha lkhar, Lippa, Asrang, Chitkul	16367.80	16.82

Conditions for Wholesale/Retail Dealers and Consumers.—

1. The Wholesaler of Kinnaur District shall report to the Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur and the authorized Inspector regarding receipt of K. Oil Tanker before proceeding on route and supply only to those authorized Retailers, who have been specifically mentioned in the Route Chart.
2. The Wholesale Dealer will issue PDS K. Oil only to the authorized retailer/ Fair Price Shop/ Persons and will get signatures on the Cash Memo and shall keep the record for inspection purpose.
3. The Wholesale Dealer would make all arrangement to purchase/ lift monthly allotted quota within the fixed period.
4. No Retailer shall sell or offer for sale a quantity of Kerosene oil more than the quantity so fixed by the Govt. as given below on any consumer Card at one time. The Retailer shall obtain the signature of the recipient of the quantity in sale register/cash Memo and issue Kerosene Oil Strictly as per the norms given below :—

Sr. No.	Category	Qty. per Consumer Card
a)	Consumer having Double Connection (LPG)	05 Ltrs. in a Month
b)	Consume having Single Connection (LPG)	10 Ltrs. in a Month
c)	Consumer having No Gas Connections/Temp. Cards	15 Ltrs. in a Month

Note: As per stocks available equitable distribution may be made.

5. Both the Wholesaler and Retailer shall not supply/sell K. Oil after the sun set till 8:00 AM and the Retailer shall not sell the K. Oil to the consumer without cash memo.
6. Both the Wholesaler/ Retailer shall have to display the stock as well as rates at their place of business in Dev Nagri script.
7. No Consumer Card holder shall further sell K. Oil purchased from the Fair Price Shop against their Consumer Card.
8. The Wholesaler of K. Oil would submit monthly report of K. Oil (as per prescribed proforma given below) received and supplied to the authorized Fair Price Shops/ Depot during the month along with the Cash Memo issued to the Depot Holder.

Name of the Wholesaler M/S..... Report for
the Month of
No..... Dated;

Opening Balance	Allocation	Receipt	Total	Supply	Closing Balance

9. No Wholesaler/ Retailer under Public Distribution System shall charge more than maximum price so fixed by the District Magistrate, Kinnaur.
10. The Dealer whether Wholesaler or a Retailer deals in Kerosene Oil under Public Distribution System shall act in accordance with the provision of Kerosene (Restriction on use and Fixation of ceiling Prices) Order, 1993 and shall also comply with the provision of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 and terms and conditions of the authorization issued there under and instructions given by the State Government from time to time.

By order,
(**Dr. N.K. LATH**)
Distt. Magistrate, Kinnaur. (HP)

**FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
KINNAUR AT RECKONG PEO, HIMACHAL PRADESH**

NOTIFICATION

Kinnaur, the 8th August, 2016

No: FDS-KNR(S)12-1/82-VI.— In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred on me under Clause 3(1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Dr.N.K.Lath, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (HP) with a view to make the following items available to the public/ Consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices (inclusive of all taxes and other incidental charges) in respect of the following items that may be charged by a dealer or a producer in District Kinnaur with immediate effect.

Sr. No. of the article as per schedule-1 of the said order.	Name of the articles		Maximum Retail Prices
1	Meat/ Chicken/Fish		
	1.	Meat Goat/ Bheda	Per Kg. 320-00
	2.	Meat Pig	Per Kg. 200-00
	3.	Chicken dressed	Per Kg. 190-00
	4.	Broiler/Parent Dressed	Per Kg. 200-00
	5.	Fish Fried	Per Kg. 275-00
	6.	Fish Unfried	Per Kg. 190 -00
	7.	Chicken Pakora	Per Kg. 280-00
2	Cooked Food served in Dhabas(Not Registered with Tourism Department)		
	1.	Full Diet (Rice, Chapati with Dal, Sabji & Karhi)	65-00
	2.	Half Diet (One Plate Rice with Dal & Sabji)	35-00
	3.	Chapati Tawa (Per Chapati)	5-00
	4.	Chapati Tanduri (Per Chapati)	6-00
	5.	Plain Prantha with Pickle (Per Prantha)	12-00
	6.	Stuffed Prantha with Pickle (Per Prantha)	17-00
	7.	Dal Makhni	35-00
	8.	Dal Fried	30-00
	10.	Raita	18-00
	11.	Chana Puri (2 with veg/ Curd)	40-00
	12.	Palk/ Matar / Shahi/ Paneer (Per Plate)	65-00
	13.	Meat (5 pieces weighing 200 Grm) Per Plate with curry	95-00
	14.	Chicken (5 pieces weighing 200 Grm) Per Plate with curry	80-00
	15.	Samosa	09-00
	16.	Tea	09-00
	17.	Chana Bhatura (2 with veg/ Chana)	35-00
	18.	Chana with 2 Samosas	30-00
	19.	Chwomein (Full Plate) Veg/ Non-Veg	65-00
	20.	Chwomein (Half Plate) Veg/ Non-Veg	37-00
	21.	Thukpa (Full Plate) Veg/ Non-Veg	65-00
	22.	Thukpa (Half Plate) Veg/ Non-Veg	37-00
	23.	Mo-Mo (Full Plate) Non-Veg	65-00
	24.	Mo-Mo (Half Plate) Non-Veg	37-00
	25.	Mo-Mo (Full Plate) Veg	55-00
	26.	Mo-Mo (Half Plate) Veg.	32-00
Sr. No. of the article as per schedule-1 of the said order.	Name of the articles		Maximum Retail Prices
3	Milk / Curd / Paneer		
	1	Milk (Per Litre)	38-00
	2	Bolloed Milk	40-00
	2	Paneer (Cottage Cheese) Per KG	275-00
	3	Curd (Per Kg.)	55-00

NOTE:

1. Every dealer/shopkeeper shall issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.
2. The dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance/ conspicuous place in “ DEVNAGRI ” script at their business premises, which shall be signed and dated by the Owner/ Partner/ Manager.
3. The Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,
(DR. N. K. LATH) IAS,
District Magistrate,
Kinnaur at Reckong Peo.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 09th August, 2016

No. VS/Estt./outsource/6-3/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create the following 17 posts in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat to be filled up on outsource basis for continuous smooth working and maintenance of e-Vidhan System:—

Sr. No.	Name of Post(s)	No. of Post(s)	Prescribed Educational Qualifications	Minimum Experience
1.	Database Administrator	1	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology)/MCA or equivalent	2 years' experience in database administration of SQL Servers and SAN
2.	Web Administrator	1	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology) / MCA or equivalent	2 years' experience in web administration of .NET MVC, WPF/WCF applications and mobile apps
3.	Programmer	1	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology) / MCA or equivalent	2 years' experience in programming of .NET MVC, WPF/WCF applications and mobile apps
4.	Network Engineer	2	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology/ Electronics & Communication)/ MCA or equivalent	2 years' experience in networking, management of computers and peripherals

5.	Technical Support Professional	2	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology) / MCA or equivalent	2 years' experience in providing IT trainings
6.	Operational Manager	3	BE/B. Tech (Computer Science/ Information Technology) / MCA / M.Sc. (CS/IT) / MBA with one year diploma in computers or equivalent	2 years' experience in providing IT support and IT operations management
7.	Operation Assistant	5	10+2 or equivalent, Computer typing speed of 30 WPM in English & 25 WPM in Hindi and basic knowledge of CS/IT	2 years' experience in providing IT operations assistance, data entry, handling files and drafting letters/reports
8.	Driver	1	10th or equivalent and driving Licence of 4 wheeler	2 years' experience in driving 4 wheeler vehicle
9.	Messenger	1	8th Pass	2 years' experience in jobs of messenger

Job Profile of various posts is enclosed at Annexure – A

2. The above posts carries the existing emoluments.
3. The expenditure shall be debited to Major Head: 2011-02-103-01-SOON-65 (Remuneration of outsource employees) w.e.f. 1st October, 2016.
4. This is in compliance of approval of the H.P. Government vide letter no. GAD-C(GI)3-I/95-II dated 30/06/2016 for creation of 17 posts of various categories on outsource basis.

By order,
(SUNDER SINGH VERMA)
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.
Phone No.-0177-2656424

Annexure – A

Job Profile of various Posts of e-Vidhan Wing for continuous smooth working and maintenance of e-Vidhan System

Sr. No.	Type of Post (Designation)	Job Profile
1	Database Administrator	DATA Servers of e-Vidhan System: Management of Data Servers at GOI Cloud Delhi and Local Data Servers at State Legislative Assembly. Data/Audio/Video Backups/Recoveries.
2.	Web Administrator	WEB Servers of e-Vidhan System: Management of Web Servers at GOI Cloud Delhi and Local Web Servers at State Legislative Assembly.

3.	Programmer	Software Code of e-Vidhan System: Maintenance/ Up-gradation of code of e-Vidhan software.
4.	Network Engineer	Management of Local Area Network and computers/printers at State Legislative Assembly and MLA Hostels.
5.	Technical Support Professional	Trainings to MLAs, Legislative Assembly Secretariat, Government Secretariat, Government Departments and Media.
6.	Operational Manager	Management of Software Operations: Day-to-Day Technical field Support to MLAs, Legislative Assembly Secretariat, Government Secretariat, Government Departments and Media. Providing Services in e-Facilitation Centre for MLAs. Supervision of jobs of Operation Assistants.
7.	Operation Assistant	Assistance in Software Operations: Day-to-Day Technical Assistance to MLAs, Legislative Assembly Secretariat, Government Secretariat, Government Departments and Media as per guidance of Operational Managers. Providing Services in e-Facilitation Centre for MLAs. Data entry, handling files and drafting letters/reports.
8.	Driver	Vehicle for travelling of the e-Vidhan Staff between Vidhan Sabha Shimla & Vidhan Sabha Dharamsala, all constituencies for capacity building, attending meetings regarding e-Vidhan with various departments at Shimla, Delhi for the purpose of executing e-Vidhan system successfully.
9.	Messenger	Assistance in diary/despatch work, Delivering letters/documents to departments, Transporting equipments /items & setting up temporary e-Vidhan labs in constituencies during trainings. Opening/Closing rooms of e-Vidhan Wing.

By order,
(SUNDER SINGH VERMA)
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.
Phone No.-0177-2656424

**HOME DEPARTMENT
(C-Section)**

NOTIFICATION

Shimla-2. the 10th August, 2016

No. Home-C-(F)4-1/2012-Loose.—The Election for the Chairperson, Himachal Pradesh State Haj Committee under Sub-section (1) of Section 21 of the Haj Committee Act, 2002 was held

on 10-8-2016 at 11:30 AM in the presence of Executive Officer, State Haj Committee-cum-Joint Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 in which Sh. Dildar Ali Batt, R/o VPO Khushnagri, Tehsil Churah, Distt. Chamba, H.P. has been elected unanimously as the Chairperson of the H.P State Haj Committee.

Now, in exercise of the powers conferred under Sub section (1) 21 of the State Haj Committee Act, 2002, the Governor Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Dildar Ali Batt, as Chairperson of the State Haj Committee from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
(PRABODH SAXENA),
Principal Secretary (Home).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2016

संख्या:ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची 'क' और 'ख' में तुरन्त प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं;

संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति को इन संशोधनों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हों, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप संशोधन

1. अनुसूची-'क' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) से संलग्न अनुसूची-'क' के भाग 2-क में,—

(i) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 66-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“66-क. सभी प्रकार की एल.ई.डी. लाईटें।” ; और

(ii) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“88. सोलर कुक्कर और सौर लालटेनों के सिवाय अक्षय ऊर्जा उपकरण (रिन्यूएबल सोलर एनर्जी डिवाइसिज) और उनके भाग।”।

2. अनुसूची-'ख' का संशोधन.—मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'ख' में,—

- (i) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 18-क के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“18-ख. विद्युत यान (इलैक्ट्रिक विहिकलज) पांच वर्ष की अवधि के लिए (अधिसूचना संख्या: ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2015 तारीख..... के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी)।” ;
और

- (ii) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“50-क. सोलर कुक्कर और सौर लालटेन।”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2015 dated 10/08/2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 10th August, 2016

No. EXN-F(10)-5/2015.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh proposes to amend the SCHEDULES 'A' and 'B' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 with immediate effect;

If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestions(s) with regard to these amendments, he may send the same to the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of publication of this notification;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same.

DRAFT AMENDMENT

1. Amendment of Schedule-A.—In Schedule-'A' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter called the "principal Act"), in part-II-'A',-

- (i) for the existing entry number 66-A, the following entry shall be substituted, namely:-

"66-A All kinds of LED Lights."; and

- (ii) for the existing entry number 88, the following entry shall be substituted, namely:-

"88. Renewable energy devices and parts thereof, except Solar Cookers and Solar Lanterns.".

2. Amendment of Schedule-'B'.—In Schedule-'B' appended to the principal Act, —

- (i) after the existing entry number 18-A, the following new entry shall be inserted, namely:—

"18-B. Electric vehicles for a period of five years (effective from the date of publication of notification No. EXNF(10)-5/2015 dated ___ 2016.) .; and

- (ii) after the existing entry number 50, the following new entry shall be inserted, namely:—

"50-A. Solar Cookers and Solar Lanterns.".

By order,
Sd/-
Secretary (E&T).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री लेहरु राम पुत्र श्री मनसा, निवासी बंजवाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री लेहरु राम पुत्र श्री मनसा, निवासी बंजवाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ब्रगांल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में व मेरे लड़के सुनील कुमार के शिक्षा प्रमाण पत्र में मेरा नाम लैहरु राम दर्ज है जो कि सही व दुरुस्त है लेकिन भू-राजस्व विभाग के इन्द्राज में मेरा नाम लैहरु दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मैं ग्राम पंचायत ब्रगांल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम लैहरु उर्फ लैहरु राम दुरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/T/2016/Misc.

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री रजनीश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डाकघर मझीण, तहसील खूण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम :—

प्रार्थी श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डाकघर मझीण, तहसील खूण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके लड़के आरव धिमान का जन्म दिनांक 29-09-2011 को हुआ है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2016 को असातन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री रजनीश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डाकघर मझीण, के लड़के आरव धिमान की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 29-09-2011, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 2015

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्रीमती हमीदा पत्नी स्व0 श्री शरीफ मुहम्मद पुत्र जान मुहम्मद, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वलोह, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :—

प्रार्थिया श्रीमती हमीदा पत्नी स्व० श्री शरीफ मुहम्मद पुत्र जान मुहम्मद, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर थुरल, ग्राम पंचायत वलोह, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पति स्व० श्री शरीफ मुहम्मद पुत्र जान मुहम्मद का देहान्त दिनांक 16-05-2002 को गांव मलघूणी, ग्राम पंचायत वलोह में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने पति स्व० श्री शरीफ मुहम्मद की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वलोह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व० श्री शरीफ मुहम्मद पुत्र जान मुहम्मद की मृत्यु तिथि 16-05-2002 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-08-2016 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व० श्री शरीफ मुहम्मद की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

विनोद कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : 2015

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम प्रशाद शर्मा वर्तमान निवासी गांव काना सुआं, डाकघर व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :—

प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम प्रशाद शर्मा वर्तमान निवासी गांव काना सुआं, डाकघर व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 22-06-1993 को गांव वलोह, ग्राम पंचायत वलोह में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वलोह को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त संजीव कुमार की जन्म तिथि 22-06-1993 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-08-2016 को

हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त संजीव कुमार की जन्म तिथि 22-6-1993 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

विनोद कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 2015

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी गांव उमरी, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :-

प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी गांव उमरी, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पुत्र अंकुश गुलेरिया का जन्म दिनांक 27-01-1996 को गांव उमरी, ग्राम पंचायत कौना में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त अंकुश गुलेरिया की जन्म तिथि 27-01-1996 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-08-2016 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त अंकुश गुलेरिया की जन्म तिथि 27-01-1996 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

विनोद कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा तकसीम नं० :/2016/एस0टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

श्री दलीप सिंह पुत्र चम्पा देवी व अन्य, वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :

1. कु० पुजा राणा पुत्री स्व० अजमेर सिंह, 2. दलीप सिंह पुत्र, 3. नरेन्द्र सिंह पुत्र चम्पा देवी वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं० 52, खतौनी नं० 63, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 0-11-84 है० वाक्या महाल घुड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) जमाबन्दी वर्ष 2010-2011.

इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी :

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस अदालत में खाता नं० 52 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-8-2016 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा तकसीम नं० :/2016/एस0टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

श्री बिशन पुत्र स्व० अजमेर सिंह व अन्य, वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :

1. कु० पुजा राणा पुत्री स्व० अजमेर सिंह, 2. दलीप सिंह पुत्र, 3. नरेन्द्र सिंह पुत्र चम्पा देवी, वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं० 59, खतौनी नं० 77, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 0-21-14 है० वाक्या महाल टिक्करी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० जमाबन्दी वर्ष 2011-2012.

इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी :

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 59 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चम्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-8-2016 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा तकसीम नं० :/2016/एस०टी०टी०पी०

तारीख पेशी : 29-08-2016

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

श्री दलीप सिंह पुत्र चम्पा देवी व अन्य, वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :

1. कु० पुजा राणा पुत्री स्व० अजमेर सिंह, 2. दलीप सिंह पुत्र, 3. नरेन्द्र सिंह पुत्र चम्पा देवी, वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं० 82, खतौनी नं० 103, खसरा कित्ता-14, रकबा तादादी 0-71-62 है० वाक्या महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) जमाबन्दी वर्ष 2008-2009.

इशतहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी :

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री डैम्फल उपनाम शंकर दास, व अन्य वासी महाल ठाणा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 82 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इशतहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-8-2016 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-07-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

पेशी : 16-08-2016

नेक राम पुत्र वन्दो राम, निवासी डुडम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि० प्र०

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल डुडम्ब खास के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल डुडम्ब खास, मौजा डुडम्ब में नेक राम पुत्र वन्दो राम के बजाये निकू राम पुत्र वन्दो राम दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम नेक राम पुत्र वन्दो राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकदमा : नाम दरुस्ती

पेशी : 16-08-2016

पृथ्वी राज पुत्र गंगू राम, निवासी लंजोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल लंजोत के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल लंजोत, मौजा वसनूर में पृथ्वी राज पुत्र गंगू राम के बजाये पृथी राज पुत्र गंगू राम दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम पृथ्वी राज पुत्र गंगू राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि

तारीख पेशी : 16-08-2016

मूल चंद शर्मा पुत्र श्री पृथी चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता
2. सचिव, ग्राम पंचायत शाहपुर।

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में सम्बन्धित मुकदमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी पुत्री नितिका शर्मा का जन्म दिनांक 19-02-1989 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनके जन्म तिथि के इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2016 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख

सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)

संदीप कुमार पुत्र जसवंत राम, निवासी भड़ोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल भड़ोत के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल भड़ोत में जयवन्त राम पुत्र सालो उपनाम सालीग्राम दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के सही नाम जसवंत राम पुत्र सालो उपनाम सालीग्राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2016 कोअसालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0

कु0 हिमांशु पुत्री श्री राज कुमार, निवासी दोगरी (मुन्हाडा) तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री राज कुमार पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी दोगरी (मुन्हाडा) तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री हिमांशु का जन्म दिनांक 10-01-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्हाडा को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 20-08-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-07-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री राम कलेश पुत्र श्री हरि राम, निवासी वार्ड नं0 7, नगर परिषद् रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री राम कलेश पुत्र श्री हरि राम, निवासी वार्ड नं0 7, नगर परिषद् रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-06-1990 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् रोहडू के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर परिषद् रोहडू को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् रोहडू में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 20-08-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् रोहडू में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-07-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गुरमीत जी० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०

श्री यतिन मच्छान पुत्र श्री ओंकार मच्छान, निवासी कुटाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री ओंकार मच्छान पुत्र गोपाल चन्द, निवासी कुटाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र यतिन मच्छान का जन्म दिनांक 27-11-1998 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुटाड़ा को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 20-08-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी० नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री गुरमीत जी० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०

श्री हर्ष पुत्र श्री राज कुमार, निवासी दोगरी (मुन्हाड़ा), तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री राज कुमार, निवासी दोगरी (मुन्हाड़ा), तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र हर्ष का जन्म दिनांक 10-01-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्हाड़ा को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 20-08-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त

तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्हाड़ा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-07-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी० नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Man Bhadur s/o Shri Jang Bhadur, r/o Kashyap Niwas, Kamlanagar, Bhattakufer, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Shri Man Bhadur s/o Shri Jang Bhadur, r/o Kashyap Niwas, Kamlanagar, Bhattakufer, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Ms. Maya Devi d/o Shri Man Bhadur s/o Shri Jang Bhadur, r/o Kashyap Niwas, Kamlanagar, Bhattakufer, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Ms. Maya Devi	Daughter	25-10-1983

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-08-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.